



पंजीकरण

प्रारम्भ

18/04/2022 से

18/05/2022

तक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 झांसी में स्ववित्त पोषित योजनाकर्तागत
आवासीय भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

ऑनलाइन/ऑफ लाइन पंजीकरण

दिनांक 18/04/2022 से दिनांक 18/05/2022 तक

ऑनलाइन
/ऑफ लाइन
पंजीकरण
सुविधा

● रेरा पंजीकरण संख्या – UPRERAPRJ978498

भवनों का विवरण

● रेरा वेबसाइट—www.up-rera.in

क 0 सं 0	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमी 0)	कारपेट एरिया (वर्गमी 0)	अनुमानित मूल्य (रु 0 लाख)	पंजीकरण धनराशि (रु 0 लाख)		पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरांत प्रथम किश्त की अनुमानित धनराशि (रु 0 लाख में)	
								सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
1	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 झांसी (सेक्टर ए, बी, सी एवं डी)	36/75	स्ववित्त पोषित फिनिशड भवन	108	75.00	29.82	27.35	2.74	1.37	5.46	6.83

नोट:-

- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में आनलाईन अथवा आफलाइन जमा की जा सकेगी।
- भवन आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रथम त्रैमासिक किश्त की धनराशि (पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये) एवं शेष 07 किश्तें अगले प्रत्येक त्रैमास की अवधि में जमा करनी होगी।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 09 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरांत बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसके लिये आवंटनी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद/बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचेक/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. एवं आनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचेक 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'/'UPAVP' के नाम जो झांसी शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये।
- किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- विरतृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।

पंजीकरण पुस्तिका ₹ 1000/-
सम्बन्धित बैंक से प्राप्त / जमा
की जा सकती है

आनलाइन/आफलाइन आवेदन

हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

HDFC BANK

सिपरी बाजार शिवपुरी रोड झांसी।

श्री राजेश्वर पाण्डेय

मो. 9839084820

अधिक जानकारी हेतु

श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह

सम्पत्ति प्रबन्धक,
झांसी

मो0-8795811528

श्री समर उपाध्याय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, बुन्देलखण्ड-1, झांसी

मो0-8795810183

श्री समर उपाध्याय

अधीक्षण अभियन्ता,
बुन्देलखण्ड वृत्त

मो0-8795810183

श्री आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव

संयुक्त आवास आयुक्त
(कानपुर जोन) कानपुर

मो0-87958101020



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

वेबसाइट: <https://www.upavp.in> ई-मेल info@upavp.com



शिकायतों एवं समस्याओं के निह्सारण के लिए

1800-180-5333 (ट्रोल फ्री) 0522-2236803

पर कॉल करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।